क्रमांक 817-3 जी0 एस0II— 73/6209

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

1. सभी विभागाध्यक्ष, मण्डलों के आयुक्त सभी उपायुक्त और राज्य के सभी उप मण्डल अधिकारी (सिविल)
2. रजिस्ट्रार पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट और हरियाणा के सभी जिला तथा सत्र न्यायाधीश।

दिनांक चण्डीगढ़ 8 मार्च, 1973

विषय :– सेवा अवधि के दौरान मरने वाले कर्मचारियों के परिवारों को अनुग्रहपूर्वक अनुदान तथा अन्य सुविधाएं देना

महोदय,

मुझे निदेश हुआ है कि मैं आपका ध्यान उपर्युक्त विषय पर हरियाणा सरकार के परिपत्र क्रमांक 9054-4 एस0II-70/32230 दिनांक 22-12-70 द्वारा जारी किए गए अनुदेशों की ओर दिलाऊं और कहूं कि इन अनुदेश. के पै में यह कहा गया है कि अनुग्रहपूर्वक अनुदान मामले प्रशासकीय विभाग की सिफारिश सहित मुख्य सचिव, हरि सरकार (सामान्य सेवाएं शाखा) को भेजें जायें।

2. यह देखने में आया है कि विभिन्न प्राधिकारियों जैसे कार्यालय के मुख्य विभागाध्यक्ष और प्रशास सचिव, द्वारा केस इस विभाग को भेजे जाते हैं। इस संबंध में नीति में समानता लाने के लिये मामले पर पुनर्वि किया गया है और यह निर्णय किया गया है कि भविष्य में अराजपत्रित मृतक कर्मचारिय. के मामले विभागाध्यक्ष द्वारा राजपत्रित अधिकारियों के मामले संबंधित प्रशासकीय सचिव द्वारा भेजे जायें।

3. कृपया यह आदेश सभी संबंधितों के नोटिस में कठोरता-पूर्वक पालन के लिये लायें जायें।

भवदीय,
हस्ताक्षर,
संयुक्त सचिव सामान्य प्रश
कृते : मुख्य सचिव हरियाणा सरक

पृष्ठांकन क्रमांक 817-3 जी0 एस0-73/6210 दिनांक 8-3-73

एक प्रति महालेखापाल तथा वित्तायुक्त राजस्व सभी प्रशासकीय सचिव हरियाणा चण्डीगढ़ को सूचनार्थ जाती है।